रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 1992/फाल्गुन 2, 1913
No. 130] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 1992/PHALGUNA 2, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1992

का.आ. 144 (अ) :—जबकि केन्द्र सरकार की यह राय है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 25 लाख रु. से अधिक और 100 लाख रु. तक की लागत के स्थायी पुलों पर लगाई जा रही लेवी को माफ करना जनहित में आवश्यक है जैसा कि राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों के प्रयोग पर शुल्क) नियमावली, 1990 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. अतः, अब राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त नियमावली की अनुसूची में उल्लिखित शुल्क की दरें 25 लाख रु. से अधिक अथवा 100 लाख रु. तक की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1-4-1976 अथवा 1-5-92 को पूरे हुए और खोले गए सभी स्थायी पुलों पर लागू नहीं होंगी। तथापि 25 लाख रु. और 100 लाख रु. के बीच की लागत के स्थायी पुलों पर लगाई जा रही इस प्रकार की लेवी, जिसके एकत्र करने के लिए ठेकों को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा ठेके दे दिए गए हैं, जारी रहेगी। तथापि, इस प्रकार के सभी मामलों में ठेकों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और ठेका समाप्त होने की तारीख से लेवी एकत्र करनी बंद कर दी जाएगी।

[फा.सं. आर डब्ल्यू/एन एच-11013/1/86-पी एल]
पी० एम० अब्राहम, सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1992

S.O. 144(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary in the public interest to exempt levy being levied on permanent bridges on the National Highways costing more than rupees 25 lakhs and upto rupees 100 lakhs as specified in the Schedule to the National Highway (Fee for use of permanent bridges) Rules, 1992

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the rates of fee mentioned in the Schedule to the said rules shall not apply

to all permanent bridges on the National Highways costing more than Rs. 25 lakhs and upto Rs. 100 lakhs and completed and opened to traffic on or after 1-4-1976 with effect from Ist day of May, 1992. Such levy shall, however, be continued to be levied on permanent bridges costing in between rupees 25 lakhs and rupees 100 lakhs wherein the contract for collection of fee have already been finalised and awarded. However, in all such cases no contract would be renewed and collection of levy shall be discontinued with effect from the expiry of contract.

[F. No. RW|NH-11013|1|86-PL]
P. M. ABRAHAM, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1992

का.आ. 145 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 58) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों के उपयोग के लिए फीस) नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों के उपयोग के लिए फीस) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कार्यपालक अभिकरण" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(1) उन राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा में जिन्हें प्रशासनिक रूप से सीमा सड़क संगठन के भारसाधन में रखा गया है, सीमा सड़क विकास बोर्ड;

(2) उन राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा में जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भारसाधन में रखा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण; और

(3) अन्य दशाओं में, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिन्हें अधिनियम की धारा 5 के अधीन ऐसे कृत्य प्रत्यायोजित किए गए हैं।

(ख) "फीस निरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी स्थायी पुल को किसी यांत्रिक यान द्वारा पार करने की बाबत फीस संग्रहण करने के लिए संबंधित कार्यपालक अभिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया है और इसमें प्रत्येक ऐसा सरकारी कर्मचारी सम्मिलित है जिसे फीस संग्रहण की बाबत ऐसे पुलों पर तैनात किया गया है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(घ) "यांत्रिक यान" से ऐसा यान अभिप्रेत है जिसे अपनी शक्ति से चालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ऐसा मोटर यान सम्मिलित है जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में परिभाषित है।

(ङ) "वेतन और लेखा अधिकारी" से वेतन और लेखा अधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली अभिप्रेत है।

(च) "स्थायी पुल" से ऐसा पुल अभिप्रेत है जिसकी संरचना स्थायी है और जिसकी लागत, जिसमें समुचित पुल, ने जुड़वाली सड़कों, मार्गदर्शक बांधों और सुरक्षात्मक संकर्मों की लागत सम्मिलित है, जिसमें पथकर बूथों की लागत सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित से अधिक है :—

(क) 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 मई, 1992 से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे किए गए और यातायात के लिए खोले गए प्रत्येक पुल की लागत 25 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक है, और

(ख) 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे किए गए और यातायात के लिए खोले गए प्रत्येक पुल की लागत एक करोड़ रुपए से अधिक।

(छ) "अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर" से राज्य लोक निर्माण विभाग (सड़क और भवन) या ऐसे किसी अन्य विभाग का जो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्य करता है, कोई अधिकारी अभिप्रेत है और वह किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित किसी विशिष्ट सड़क या पुल का भारसाधक है।

3. फीस की दरें और उसका संदाय :—कार्यपालक अभिकरण को भारत सरकार की ओर इन नियमों से संलग्न अनुसूची की सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर स्थायी पुलों के उपयोग के लिए यांत्रिक यान पर उद्गृहीत फीस का संदाय किया जाएगा।

4. फीस की दरों को प्रदर्शित करना :—फीस की दरों को प्रदर्शित करने वाली और किसी स्थायी पुल पर उद्गृहीत की जाने वाली प्राधिकृत दरों की सारणी फीस संग्रहण बूथ के निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर अंग्रेजी, हिन्दी और उस क्षेत्र की जिसमें स्थायी पुल अवस्थित है, प्रादेशिक भाषा में स्पष्ट अक्षरों में लिखित या मुद्रित लगाई जाएगी।

5. राशि के संग्रहण/निर्मोचन, उसको संभालने आदि की प्रक्रिया :—

(1) इन नियमों के अधीन उद्गृहीत सभी फीस संबंधित कार्यपालक अभिकरण द्वारा विभाग द्वारा या केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रतियोगात्मक बोली के आधार पर प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा संगृहीत की जाएगी। संबंधित कार्यपालक अभिकरण संग्रहण बूथों की पर्याप्त संख्या में आवश्यक व्यवस्था करेगा जो हाथ से या स्वचालित व्यवस्था या दोनों के संयोजन से, जो कार्यपालक अभिकरण उपयुक्त समझे, प्रचालित होगी।

(2) स्थायी पुलों के दोनों सिरों पर उसकी सहायता के लिए एक फीस निरीक्षक आवश्यक पुलिस गार्ड सहित तैनात किया जाएगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर स्थायी पुल पार करने वाले किसी यांत्रिक यान की बाबत फीस संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(3) स्थायी पुल के दोनों सिरों पर यांत्रिक यान को रोकने के लिए एक क्रासबार की व्यवस्था होगी।

(4) फीस निरीक्षक क्रासबार पर यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक संबंधित यांत्रिक यान की बाबत उद्ग्रहणीय फीस या संदाय नहीं हो जाता है, उसको जाने नहीं दिया जाता है।

6. फीस संग्रहण करने का ढंग :—(1) किसी यांत्रिक यान का प्रत्येक चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति स्थायी पुल को पार करने से पूर्व या उसको पार करने के पश्चात् क्रासबार पर अपने यान को ठहराएगा और फीस संग्रहण बूथ पर यान की बाबत उद्ग्रहणीय फीस का संदाय करेगा। फीस निरीक्षक बदले में प्ररूप (क) में रसीद की दो प्रतियां तैयार करेगा और उसकी एक प्रति यांत्रिक यान के चालक/स्वामी/भारसाधक व्यक्ति को सौंप देगा।

(2) उसी कार्यपालक अभिकरण की अधिकारिता के अधीन पार किए जाने वाले पहले पुल के प्रवेश द्वार के आरंभिक स्थान से 80 किलोमीटर के भीतर पड़ने वाले दो या अधिक पुलों की दशा में ऐसे यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति से पहले पुल पर जिसे वह पार करना चाहता है, फीस का संग्रहण किया जा सकेगा। ऐसे संदाय की रसीद के धारक किसी यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को अन्य उपर्युक्त पुलों, को, उन पुलों पर तैनात फीस निरीक्षकों को रसीद दिखाने के पश्चात् बिना विघ्न डाले जाने दिया जाएगा। इस उपनियम के अधीन आने वाले पुलों के फीस संग्रहण बूथों के निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर ऐसे पुलों के ब्यौरे अंग्रेजी, हिन्दी और उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में जिसमें उक्त पुल अवस्थित है, स्पष्ट रूप से लिखित या मुद्रित रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। फीस का संग्रहण सभी पुलों की लागत के वसूल होने तक जारी रहेगा।

(3) फीस निरीक्षक अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति पर प्ररूप क में दो प्रतियां तैयार करेगा और उसकी एक प्रति उस यान चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिसकी बाबत फीस संदत्त की गई है और दूसरी प्रति अभिलेख के लिए रख लेगा।

(4) जब किसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार पुल को पार करना हो तब उपयोगकर्ता के पास पहली बार पुल को पार करते समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर के डेढ़ गुना फीस का संदाय करने का विकल्प होगा या यदि यान को पुल का बारबार उपयोग करना है तो यान का स्वामी तीस दिन की एकल दर के बराबर प्रभार के संदाय पर मासिक पास ले सकेगा।

7. संगृहीत फीस का परेषण :— (1) कर्तव्य पर निरीक्षक अपने कर्तव्य की अवधि के दौरान संग्रहीत राशि के संगृहण का और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायी होगा। फीस निरीक्षक संग्रहण बूथ को, उसे भारमोचन करने वाले व्यक्ति के आने तक नहीं छोड़ेगा।

(2) फीस निरीक्षक प्ररूप ख में विहित रोकड़ रजिस्टर रखेगा और उसकी प्रविष्टियां अद्यतन रखेगा।

(3) फीस निरीक्षक अपने कर्तव्य की अवधि के अन्त में अपने द्वारा संग्रहीत राशि को रोकड़ रजिस्टर में सुसंगत स्तंभ में अपने भारमोचन करने वाले व्यक्ति से हस्ताक्षर करने पर उसे सौंप देगा।

(4) फीस निरीक्षक प्रतिदिन सायं 4 बजे और 5 बजे के बीच पूर्वगामी 24 घंटे के दौरान संग्रहीत फीस की समस्त राशि को पुल के अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर को, रोकड़ रजिस्टर के सुसंगत स्तंभ में उसके हस्ताक्षर कराने के पश्चात् सौंप देगा।

(5) भारसाधक अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर फीस निरीक्षक से प्राप्त संग्रहण की राशि को अपने कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए दी गई तिजोरी में रखेगा।

(6) भारसाधक अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर प्रत्येक शनिवार को या यदि यह छुट्टी का दिन हो तो अगले कार्यकरण दिन को शनिवार के पूर्वगामी सप्ताह की बाबत उसके द्वारा प्राप्त राशि को, वेतन और लेखा अधिकारी को मांगदेय ड्राफ्ट के द्वारा परेषित कर देगा। वेतन और लेखा अधिकारी इस प्रकार प्राप्त राशि को अपने खातों के सुसंगत प्राप्ति शीर्ष में दर्ज कर देगा।

(7) भारसाधक अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर वेतन और लेखा अधिकारी को परेषणों को दर्शित करते हुए प्ररूप-ग में यथाविहित एक रजिस्टर रखेगा और रजिस्टर की प्रविष्टियां अद्यतन रखेगा।

(8) भारसाधक अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर फीस के संग्रहण की बाबत स्थायी पुल पर तैनात कर्मचारीवृंद का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा और समुचित लेखा और अभिलेख बनाए रखेगा।

(9) उस सड़क का जिस पर स्थायी पुल अवस्थित है, उपखंड अधिकारी मास में कम से कम दो बार फीस निरीक्षक और भारसाधक अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर के कार्यालय का अचानक दौरा करेगा और यह जांच करेगा कि कर्मचारीवृंद द्वारा फीस का संग्रहण और परेषण इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है। वह कर्मचारीवृंद द्वारा रखे गए रोकड़ रजिस्टर और अन्य अभिलेख को ऐसे दौरों के प्रमाण के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित करेगा। ऐसे दौरे तीन माह में कम से कम एक बार संबंधित कार्यपालक इंजीनियर द्वारा भी किए जाएंगे।

(10) फीस के संग्रहण के किसी ठेकेदार द्वारा (प्रतियोगी बोली के आधार पर) होने की दशा में सम्यक रूप से निष्पादित करार में संविदा की अवधि के लिए प्रत्येक मास में कम से कम एक बार कार्यपालक अभिकरण/या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा आनुपातिक राशि के संदाय के परेषण का उपबंध होगा।

8. फीस के संग्रहण की अवधि :—1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् किन्तु तारीख 1 मई, 1992 से पूर्व किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 25 लाख रुपए से अधिक और एक करोड़ रुपए तक की लागत वाले यातायात के लिए पूरे किए गए और खोले गए पुलों की बाबत फीस का उद्ग्रहण तुरन्त या जहां फीस के उद्ग्रहण के लिए संविदा की गई है विद्यमान संविदा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् बंद कर दिया जाएगा। फीस का उद्ग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् पूरे किए गए और यातायात के लिए खोले गए एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले पुलों की बाबत भी, पुल की पूरी लागत या उन पुलों के समूह जिसमें जुड़नेवाली सड़कों की लागत, फीस के संग्रहण के लिए बनाए गए सन्निर्माण लागत, मार्गदर्शक बंधों और सुरक्षात्मक निर्माणों की लागत है, जिसके अंतर्गत उस पर ब्याज भी है जिसमें उस पर किए गए विशेष मरम्मत व्यय है जो उद्ग्रहण की वसूली के बंद किए जाने की तारीख तक संग्रहीत किए जाते है, बंद कर दिया जाएगा।

9. विवरणियां प्रस्तुत करना :—संबंधित कार्यपालक अभिकरण वेतन और लेखा अधिकारी को जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में निम्नलिखित पेश करेगा :—

(क) प्रत्येक पुल की बाबत फीस आगमों के बराबर संचित और प्रेषित राशि और उस मांग देय ड्राफ्ट संख्या और तारीख के ब्यौरों सहित जिनके द्वारा राशि प्रेषित की गई है दर्शित करने वाला मासवार समेकित विवरण।

(ख) वास्तविक उपगत व्यय के बराबर फीस के संग्रहण की बाबत कार्यपालक अभिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित प्रत्येक स्थायी पुल पर उपगत व्यय या मासवार विश्लेषण।

10. प्रतिभूति देना :—फीस निरीक्षक और भारसाधक अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर कार्यपालक इंजीनियर के पास खजाना नियमों में यथा अधिकथित विहित प्ररूप में एक प्रतिभूति निष्पादित करते हुए, एक हजार रुपए से अन्यून की एक नकद प्रतिभूति जमा करेगा।

11. फीस आगमों को जमा करना और उनका उपयोग :—(1) फीस से प्राप्त आगम भारतीय संचित निधि का भाग होगी। एक वर्ष के दौरान प्राप्त की जाने वाली प्राक्कलित राशि के बराबर रकम का जल भूतल मंत्रालय की अनुदान की मांग में किसी न समाप्त होने वाले आरक्षित निधि में अंतरण के लिए उपबंध किया जाएगा जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले भारतीय लोक लेखा के अर्थान्तर्गत ब्याज नहीं लिया जाएगा। निधि में बकाया राशि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित की जाएगी। विभिन्न राज्यों और सुसंगत राज्य क्षेत्रों को आबंटित की जाने वाली राशि यथासाध्य इन नियमों के अधीन विभिन्न राज्यों द्वारा संग्रहीत की गई फीस के बराबर होगी। उसमें से संग्रहण प्रभारों को कम कर दिया जाएगा जो राज्यों के भीतर कुल संग्रहण के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। संग्रहण प्रभारों की इन नियमों के उपनियम (3) में वर्णित रीति में संबंधित कार्यपालक अभिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रकार दिए गए आबंटन उनकी साधारण आबंटन योजना के अतिरिक्त होगी।

(2) तथापि इस प्रकार किए गए आबंटन योजना क्षेत्र के अधीन और योजनाबद्ध व्यय होंगे जो उद्ग्रहण आगमों से संग्रहण प्रभारों को निकालने के पश्चात् शुद्ध आगमों की सीमा तक नवीकृत किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष के अंत में उपयोग न किए गए शेष फीस के आगम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्ययगत नहीं होंगे किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले व्यष्टि कार्यों के विरुद्ध पश्चात्‌वर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(3) फीस के संग्रहण पर कार्यपालक अभिकरणों द्वारा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति में जो फीस के कुल संग्रहण के 12% से अधिक नहीं होंगे, राशियों के संदाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्षवार इसके बजट में इसके द्वारा किए जाने वाले विनिर्दिष्ट बजट उपबंध में से विनिर्दिष्ट संदाय मंजूरी द्वारा किए जाएंगे।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-11013/1/86-पीएल]
पी. एम. अब्राहम, सचिव

सारणी

संदेय फीस की दरें (पुनरीक्षित)

क्र. सं.	पुलों की विशिष्टियां	मोटर साइकिल स्कूटर यांत्रिक रूप से नोदित कोई अन्य दुपहिया यान	मोटर-कार, टैक्सी, जीप पिक-अप वैन, स्टेशन वैगन, टैम्पो, आटो रिक्शा तिपहिया स्कूटर या अन्य स्वचालित हल्के यान		बस, ट्रक और अन्य भारी यान जिसमें ट्रक-ट्रेलर संयोजन भी है		अन्य यांत्रिक रूप से नोदित यान (जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं। जैसे चल क्रेन, डोजर, मिट्टी हटाने वाले यान, रोड रोलर आदि लदे हुए या बिना लदे।
			ट्रेलर के बिना	ट्रेलर सहित	लदे हुए	बिना लदे	
1	2	3	4	5	6	7	8
				(रुपए)			
1.	1-4-76 को या उसके पश्चात किन्तु 1-5-92 से पूर्व यातायात के लिए पूरे किए गए/पूरे किए जाने वाले और खोले गए 25 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक की लागत वाले पुलों के लिए फीस	0.50	2.00	3.00	6.00	3.00	5.00
2.	1-4-76 को या उसके पश्चात् किन्तु 1-5-92 से पूर्व यातायात के लिए पूरे किए गए/पूरे किए जाने वाले और खोले गए 50 लाख रु. से अधिक और एक करोड़ रु. तक की लागत वाले पुलों के लिए फीस	0.50	2.00	3.00	8.00	4.00	8.00
3.	1-4-76 को या उसके पश्चात् यातायात के लिए पूरे किए गए/ पूरे किए जाने वाले और खोले गए एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले पुलों के लिए फीस	कुछ नहीं	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00

टिप्पण : अति विशिष्ट व्यक्ति चिह्नों वाले निम्नलिखित यानों को ऐसी फीस के संदाय से छूट दी जाएगी :—

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय और राज्य मंत्री, लोक सभा राज्य सभा, राज्य विधान सभा में विपक्षी नेता जो मंत्रिमंडल मंत्री की प्रास्थिति के हों, राज्यपाल/उपराज्यपाल/ कार्यपालकपार्षद/केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष सभापति, भारत के राजनैयिक दौरे पर आए विदेशी उच्चपदस्थ, कारों पर सी डी चिह्नों का उपयोग करने वाले भारत में तैनात विदेशी राजनयिक।

प्रारूप "क"

(कृपया नियम—6 देखिए)

सं. . . . .

फीस के संदाय की रसीद

(पुल का नाम)

1. यांत्रिक यान का रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित वर्णन . . . .
2. क्या लदा हुआ या बिना लदा अथवा यात्रियों सहित या यात्रियों के बिना है . . . .
3. जावक यात्रा का समय और तारीख . . . . .
4. संदत्त फीस की राशि . . . .

फीस निरीक्षक के हस्ताक्षर . . . .

पूर्व मुद्रित होगी

प्रारूप "ख"

[नियम 7(2) देखिए]

रोकड़ रजिस्टर

क्रम सं.	तारीख	यान संख्या	फीस का संदाय करने वाले व्यक्ति का नाम	उस रसीद की संख्या जिसके द्वारा फीस संदत्त की गई	संदत्त फीस की राशि	संदत्त फीस के अनुक्रमिक आंकड़े	फीस निरीक्षक के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

फीस निरीक्षक के उत्तरवर्तियों के हस्ताक्षर	भारसाधक अनुभागीय अधिकारी/कनिष्ठ इंजीनियर के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
9	10	11

प्रारूप "ग"

(नियम 7(7) देखिए)

स्थायी पुलों के संगृहीत फीस की बाबत फीस संग्रहण और परेषण का निम्नलिखित दर्शित करने वाला रजिस्टर

क्रम सं.	जमा करने वाले अनुभागीय अधिकारी कनिष्ठ इंजीनियर का नाम	फीस निरीक्षक से एकत्र राशि	प्राप्ति की रसीद	बैंक का नाम जिससे मांगदेय ड्राफ्ट क्रय किया गया	मांगदेय ड्राफ्ट की संख्यांक और तारीख	मांगदेय ड्राफ्ट की राशि
1	2	3	4	5	6	7

मांग देय ड्राफ्ट को भेजने के ब्योरे	मांगदेय ड्राफ्ट को भेजने का डाकीय रजिस्ट्रीकरण सं.	टिप्पणियां
8	9	10

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 1992

S.O. 145(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and in supersession of the National Highways (fees for use of permanent bridges) Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Highways (Fees for Use of Permanent Bridges) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "executing agency" means :—

(i) in the case of those National Highways administratively placed under the charge of the Border Roads Organisation, the Border Roads Development Board;

(ii) in the case of those National Highways administratively placed under the charge of National Highway Authority, the National Highway Authority;

(iii) in other cases the State Government|Union Territory Administration to which such functions are delegated under section 5 of the Act.

(b) "fee inspector" means a person authorised by the executing agency concerned to collect fee in respect of any mechanical vehicle crossing a permanent bridge and includes every government employee posted on such bridge in connection with the collection of fees.

(c) "Form" means Form appended to these rules.

(d) "mechanical vehicle" means any vehicle designed to be driven under its own power including a motor vehicle as defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

(e) "Pay and Accounts Officer" means Pay & Accounts Officer (National Highway) Ministry of Surface Transport, New Delhi.

(f) "permanent bridge" means a bridge with permanent structures, the cost of which including the cost of the bridge proper, approach roads, guide bunds and protective works, excluding the cost of toll booths, is more than—

(a) rupees 25 lakhs and upto rupees 100 lakhs each, completed and opened to traffic on or after first day of April, 1976 but before the first day of May, 1992 on National Highways; and

(b) more than rupees 100 lakhs each, completed and opened to traffic on or after first day of April, 1976 on National Highways.

(g) "Sectional Officer|Junior Engineer" means an officer of the State Public Works Department (Road and Building) or any other Department dealing with National Highways having that designation and being in-charge of a particular road or bridge located on a National Higway.

3. Rates of fees and its payment.—These shall be levied and paid to the executing agency, on behalf of the Government of India, fees on mechanical vehicles for the use of permanent at the specified in the Schedule annexed to these rules.

4. Displaying of rates of fees.—A table displaying rates of fees, rates authorised to be levied at any permanent bridge, shall be put up in a conspicuous place near a fee collection booth legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the permanent bridge is situated.

5. Procedure for collection|realisation or amount, handling, etc.—(1) All fees levied under these rules shall be collected by the executing agency concerned departmentally or through private contractors on the basis of competitive bidding on behalf of the Central Government. The executing agency concerned shall make necessary arrangement for putting up adequate number of collection booths, opeated manually or by automatic arrangements or by combination of both as may be considered suitable by the executing agency.

(2) There shall be posted a fee inspector, with necessary police guard to assist at either end of the permanent bridge, who shall be authorised to collect fee in respect of any mechanical vhicle crossing the permanent bridge at the rates specified in the Schedule.

(3) There shall be provided, at either end of a permanent bridge, a cross bar for securing the stoppage of mechanical vehicles.

(4) The Fee Inspector shall ensure at the cross bar that passage is not allowed to mechanical vehicles unless the fee leviable in respect thereof has been paid.

6. Mode of collection of fee.—(1) Every driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle shall, before crossing the permanent bridge or after having crossed it, stop his vehicle at the cross bar and pay the fee leviable in respect of the vehicle at the fee collection booth. The fee Inspector shall, in return, prepare a receipt in duplicate in Form-A and hand over one copy of the receipt to the driver|owner|person in-charge of the mechanical vehicle.

(2) In the case of two or more bridges falling in close proximity to each other within 80 kms. from a point at the beginning of the approach of entry of the first bridge to be crossed, under the jurisdiction of the same executing agency, the fee may be collected, from the driver, owner or person in-charge of such vehicle on the first bridge which he intends to cross. The driver, owner or person in-charge of the

vehicle holding the receipt of such payment shall be allowed to pass through other aforesaid bridges unhindered after showing the receipt to the fee inspectors posted on the other bridges. Details of such bridges shall be displayed at a conspicuous place near the fee collection booths of the bridges covered under this sub-rule, legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the said bridges are situated. The collection of fee will continue till aggregate cost of all bridges in the reach is recovered.

(3) The Fee Inspector shall, on receipt of the fee specified in the Schedule, fill up a receipt in duplicate in Form 'A' and deliver one copy thereof to the driver, owner or the person in-charge of the vehicle in respect of which the fee has been paid and retain the scond copy for rcord.

(4) When the same vehicle has to cross the bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay one and a half times of the rate specified in the Schedule while crossing the bridges in the first trip itself, or if the vehicle has to use the bridge quite frequently the vehicle owner can have a monthly pass on the payment of charges equal to 30 single rates.

7. Remittance of fees collected.—(1) The Fee Inspector on duty shall be responsible for the collection and safe custody of the amounts collected during his duty period. The fee inspector shall not leave the collection booth till his reliever takes over from him.

(2) The Fee Inspector shall maintain a cash register as prescribed in Form 'B' and keep it posted upto date.

(3) The Fee Inspector shall at the end of the period of his duty, hand over the amount collected by him to his reliever after obtaining the signature of the latter in the relevant column of the cash register.

(4) Every day between 1600 hrs and 1700 hrs the Fee Inspector on duty shall hand over the entire amount of fee collected during the preceding 24 hours to the Sectional Officer|Junior Engineer-in-charg of the bridge after obtaining his signature in the relevant column of the cash regiser.

(5) The Sectional Officer|Junior Engineer-in-charge shall keep the amounts of collection received from the Fee Inspector in the chest provided for the purpose at his office.

(6) The Sectional Officer|Junior Engineer-in-charge shall, on every Saturday or if it happens to be a holiday, on the next working day, remit the amount received by him in respect of the week preceding the Saturday by a demand draft to the Pay and Accounts Officer. The Pay and Accounts Officer shall account the amounts so received in the relevant receipt head in his books.

(7) The Sectional Officer|Junior Engineer-in charge shall maintain a register as prescribed in Form 'C' showing the remittances made to the Pay and Accounts Officer and shall keep the register posted uptodate.

(8) The Sectional Officer|Junior Engineer-in charge shall exercise supervision and control over the staff posted at the permanent bridge in connection with the collection of the fees and maintenance of proper accounts and records.

(9) The Sub-Divisional Officer, in-charge of the roads on which the permanent bridge is situated, shall pay surprise visits, at least twice a month, at the offices of the fee inspector and the sectional officer|Junior Engineer-in-charge to check that the collection and remittance of fees by the staff is being done in accordance with the provisions of these rules. He shall countersign the cash register and other record maintained by the staff in token of such visit. Such visit, at least once in three months, shall also be made by the Executive Engineer concerned.

(10) In case the fee collection is through a contractor (on the basis of competitive bidding) the agreement duly executed shall provide for remittance by the contractor of the proportionate amount payable by the contractor for the period of contract atleast once every month to the executing agency|or his authorised representative.

8. The tenure of collection of fee : The levy of fee shall be discontinued in respect of bridges costing more than rupees 25 lacs and upto rupees 100 lakhs completed and opened to traffic on or after first day of April, 1976 but before the first day of May, 1992 on National Highways forthwith or after the expiry of the existing contract period in cases where contracts have been entered into for fee collection.

The levying of fee shall also be discontinued in respect of bridges costing more than rupees 100 lakhs completed and opened to traffic on or after first day of April, 1976 on National Highways as soon as the full cost of the bridge or a group of bridges including the cost of approaches, cost of structure to be put up for the collection of fees, guide bunds and protective works, including interest thereon as also the maintenance and special repairs expenditure thereon, upto the date of discontinuance of the levy is recovered.

9. Submission of returns.—The executing agency concerned shall furnish in the first week of July, October, January and April to the Pay & Accounts Officer :—

(a) monthwise consolidation statement showing the amount collected and remitted on account of fees proceeds in respect of each permanent bridge along with the details of number and date of the demand draft by which the amount has been remitted;

(b) monthwise break-up of the expenditure incurred on each permanent bridge by the executing agency required to be reimbursed on account of collection of the fees on the basis of actual expenditure incurred.

10. Furnishing of security.—The Fee Inspector and the Sectional Officer|Junior Engineer in-charge

shall deposit a cash security of not less than Rs. 1000 by executing a security bond in the prescribed form as laid down in the Treasury Rules with the Executive Engineer.

11. Credit of the proceeds of the fees and its utilisation.—(1) The proceeds from the fees shall form part of the Consolidated Fund of India. A sum equal to the amount estimated to be received during a year shall be provided in the Demands for Grants of the Ministry of Surface Transport for transfer to a non-lapsing Reserve Fund not bearing interest within the Public Account of India, to be set up by the Central Government. The amount standing to the credit of the Fund would be allocated by the Central Government for development of National Highways in the States and the Union territories. The amount to be allocated to various States and the Union territories, shall, as far as possible, be equal to the fees collected in the respective States under these rules, reduced by collection charge not exceeding 12 per cent of the total collections within the State. The collection charges shall be reimbursed to the executing agency concerned in the manner indicated in sub-rule (3) of this rule. The allocations so made to the States and the Union territories shall be over and above their normal plan allocations.

(2) The allocations so made shall, however, be subject to planning discipline and shall be a Plan expenditure which shall be augmented to the extent of the net proceeds after excluding the collection charges from the proceeds of the levy. The proceeds of the fees remaining unutilised at the end of the Financial Year shall not lapse at the close of that Financial Year but shall be available for being utilised during subsequent year or years against individual works to be approved by the Central Government.

(3) Payment of the amounts in reimbursement of the expenditure incurred by the executing agencies on collection of fees, not exceeding 12 per cent of the total collection of fees shall be made by the Central Government by specific payment sanctions from out of the specific budget provision to be made by the Central Government in its budget from year to year.

[F. No. RW|NH-11013|1|86-PL]
P. M. ABRAHAM, Secy.

SCHEDULE

(See rule 3)

Fee chargeable in respect of Mechanical Vehicle using permanent Bridges, costing more than Rs. 25 lakhs on National Highways comletec/to be completed and opened to traffic on or after 1-4-1976 in regard to vehicle other than defence vehicles, vehicles with VIP symbols, police vehicles, fire fighting vehicles, Ambulances, funeral vans, posts and telegraph department vehicles and Central and State Government vehicles on duty.

TABLE

Sl. No.	Particulars of bridges	Motor Cycle' Scooter or any other two-wheeled mechnically propelled vehicles	Motor-car, taxi, Jeep, Pick-up Vans, Station Wagon' Tempo Auto-Rickshaw, Three-wheeler scooter, or other auto-driven light vehicles		Bus, Truck and other heavy Vehicles including truck-trailler combination		Other mechanically propelled vehicles (not mentioned above like mobile cranes, dozers earth movers, road rollers, etc. loaded or unloaded
			Without	With trailer	Laden	Unladen	
1	2	3	4	5	6	7	8
			(Rupees.)				
1.	Fee for bridges costing more than Rs. 25 lakhs and upto Rs. 50 lakhs completed/to be completed and opened to traffic on or after 1-4-1976 but before 1st May, 1992.	0.50	2.00	3.00	6.00	3.00	6.00
2.	Fee for bridges costing more than Rs. 50 lakhs and upto Rs. 100 lakhs completed/to be completed and opened to traffic on or after 1-4-1976 but before 1st May, 1992.	0.50	2.00	3.00	8.00	4.00	8.00
3.	Fee for bridges costing mo e than Rs. 100 lakhs completed/to be completed and opened to traffic on or after 1-4-1976.	Nil	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00

Note (1) When the same Vechicle has to cross the bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay one and hal times.

the above rates while crossing th bridges in the first trip itself, or if the vehicles has to use a bridge continuously and quite frequently for the entire month or even beyond that, for much longer period the vehicle owner can even have a monthly pass payment of charges equal to 30 single rates.

(2) The following vehicles having VIP sybmols shall be exemted from the payment of such fee :

President and Vice-President of India, Central and State Ministries, Leaders of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legetlatures having the status of a Cabinet Minister, Governors/Lt. Governors/Executive Councillors/Speakers/Chairman of Central and State Legislatures, Foreign Dignitaries on State visit to India, Foreign-Diplomats stationed in India using cars with CD symbols.

FORM 'A'

[See rule 6]

R.No.________________

Receipt for payment of fee

Name of Brigdge(s)

1. Description of mechanical vehicle with Registraton Number ________________
2. Whether laden or unladen or with or without passengers ________________
3. Time and date of outward journey ________________
4. Name of driver and/or owner ________________
5. Amount of fee paid ________________

Signature of 'Fee' Inspector

FORM 'B'

[See rule 7(2)]

Sl. No.	Date	Vehicle No.	Name of person paying the fee	No. of receipt	Amount of fee paid by which fee paid	Progressive figures of Inspector	Signatures of Fee Inspector	Signatures of successors fee Inspector	Signatures of sectional officer--in-charge/Junior Engineer-in-charge	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FORM 'C'

[See rule 7(7)]

Sl. No	Name of the Sectional Officer-in-Charge/ Junior Engineer-in-charge	Amount collected from the Fee Inspector	Date of Receipt Demand	Name of the Bank from which Date is pruchased	No. of Demand Draft and Date	Amount of Demand Draft	Details of despatch of Demand Draft	Postal registration No. of despatch of Demand Draft	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

494 GI/92—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992